राजनीतिक तिलिस्मों पर फतह का महायज्ञ

जासूस

www.picmp.com

बादशाह

आरएनआई निबंधन संख्या-एमपीएचआईएन1999 /4107

डाक पंजीयन-मप्र। भोपाल। 371 /24-2026

वर्ष-25, अंक-30,(तीस सालों से लगातार प्रकाशित) भोपाल,बुधवार 14 अगस्त 2024 पेज-8,मूल्य दो रुपए मात्र

सत्ता माफिया की अब खैर नहीं

भोपाल,14अगस्त (जासूस रिपोर्टर) मध्यप्रदेश की राजनीति में बरसों से घुसपैठ जमाए सत्ता माफिया के एजेंट को जेल भेजकर डॉ.मोहन यादव की पुलिस ने उसे अपनी हद में रहने की खुली चुनौती दे डाली है। इस घटना से सत्ता के गलियारों में दौड़ भाग करने वाले तमाम नेता और उनके दलाल हतप्रभ हैं। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मोहन यादव सरकार कभी उस लक्ष्मण रेखा की सुरक्षा में इतनी मुस्तैद हो सकती है जिसे कभी उमा भारती के बाद बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान ने अपने दो दशक लंबे कार्यकाल में छूने की हिम्मत भी नहीं दिखाई थी। बीच में आई कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने तो सत्ता माफिया के एक अड्े को मटियामेट करके खुली जंग का ऐलान कर दिया था लेकिन इसी दंभ में भरे कमलनाथ की सरकार समय से पहले धराशायी हो गई और मध्यप्रदेश की रगों में घुसकर खून चूसने वाले सत्ता माफिया के सफाए का अभियान अधूरा रह गया था।

शिवराज सिंह चौहान ने अपने लंबे शासनकाल में जिस तरह कर्ज लेकर विकास करने का जो मार्ग चुना था उसकी वजह से सत्ता के इर्द गिर्द लुटेरों का जमघट लग गया था यही सत्ता के दलाल राज्य के सारे ठेकों में हिस्सेदार बन गए थे। विकास के नाम पर चलने वाली योजनाओं का कोई भी ठेका हो उन सभी में इस गिरोह का उदय हो जाता था। शिवराज सिंह का सचिवालय हो या मंत्रालय के अफसर सभी को ताकीद थी कि इस संगठन के इशारे पर ही ठेके दिए जाएं। जिस ठेके में इस गिरोह का कम से कम एक सदस्य साईलेंट पार्टनर के रूप में शामिल होता था उसी को ठेका दिया जाता था।इस ठेके का इस्टीमेट इसी तरह का बनाया जाता था कि उसमें सबकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो जाए।

सत्ता को धमकाने का जो खून इस

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादवः धमकाने वाली भाषा सुनने की आदत नहीं.

सत्ता माफिया के मुंह लग चुका है उसके चलते गुंडागर्दी के सामने पुलिस अक्सर लाचार हो जाती रही है। पिछले दो दशकों में सत्ता माफिया के इन्हीं गुर्गों को प्रदेश का कर्णधार बताने की परंपरा सी पड़ गई है। उद्योगपतियों के नाम पर यही गिरोह सत्ता का लाभ लेता रहा है। इसमें भाजपा तो क्या कांग्रेस के भी तमाम लोग शामिल रहे हैं। कांग्रेस के जिन नेताओं थोड़ी बहुत

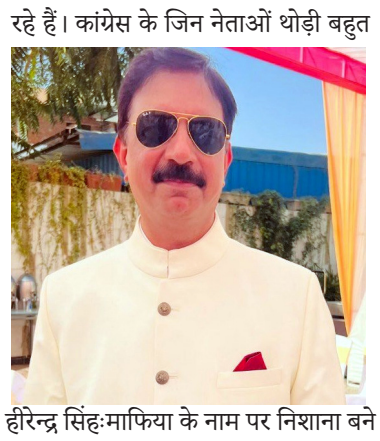

हीरेन्द्र सिंहःमाफिया के नाम पर निशाना बने

कमर सीधी की उसे इस सत्ता माफिया ने या तो तोड़ दिया या अपने बीच मिला लिया।

ऐसा नहीं था कि शिवराज सिंह चौहान इस परिस्थिति को नहीं समझते थे। तभी तो 13 दिसंबर 2018 को जब कमलनाथ ने शपथ ली तब शिवराज सिंह ने भाजपा की हार के बाद एक सार्वजनिक मंच पर कहा था कि मैं मुक्त हो गया। वे जानते थे कि किस तरह एमपी की सत्ता चलाना एक गंभीर कीमिया गिरी से ज्यादा नहीं है। इसके बावजूद वे इतने कमजोर साबित होते रहे कि प्रदेश की आय बढ़ाने के बजाए वे सत्ता माफिया को पालने में ही जुटे रहे।

पहली बार डाक्टर मोहन यादव ने इस सत्ता माफिया को उसकी सीमाओं में रहने की चुनौती दी है। जबसे उन्होंने सत्ता संभाली है तभी से वे सुशासन के उस फार्मूले पर सरकार चला रहे हैं जो नीति आयोग ने निर्धारित किया है। सुशासन की इसी परंपरा को अटल सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल के सीईओ एवं स्टाफ लागू करने का प्रयास कर रहा है। सत्त के इसी तंत्र में घुसपैठ करने के लिए इस माफिया गिरोह ने एमपी भाजपा कार्यसमिति सदस्य हीरेन्द्र बहादुर सिंह की बेटी को संविदा पर नियुक्त करवा दिया था। विदेश से पढ़कर आई उनकी बेटी सरकार के निर्णयों की मुखबिरी करके सत्ता माफिया को एलर्ट भेज रही थी। जब इसकी असलियत खुली तो संस्थान के सीईओ लोकेश शर्मा ने उसे चलता कर दिया। इससे बौखलाए हीरेन्द्र बहादुर सिंह ने मुख्यमंत्री से शिकायत करने के लिए तेज आवाज में तू तू मैं मैं कर डाली। यही नहीं जब संस्थान में एक बैठक चल रही थी तब वहां जाकर उन्होंने सीईओ के कक्ष में गुंडागर्दी मचाई। उन्होंने सीईओ को धमकाया कि वे मध्य-

लोकेश शर्माःअब सुशासन का दौर

प्रदेश में भी नहीं रह पाएंगे।

दरअसल हीरेन्द्र बहादुर सिंह की चेतक ट्रेवल्स नाम की टैक्सी सेवा पिछले बीस सालों से मध्यप्रदेश की प्रमुख परिवहन कंपनी बन गई है। इस कंपनी ने सरकार से कई सौ करोड़ रुपयों का भुगतान प्राप्त किया है। इस कंपनी के नाम भुगतान की जो बिलिंग की गई है उससे भी कई गुना अधिक बिलों का भुगतान इसी गिरोह की अन्य नाम की परिवहन एजेंसियों को किया गया है।कुल मिलाकर सरकार के परिवहन पर सत्ता माफिया के प्रतिनिधि के तौर पर हीरेन्द्र बहादुर ही काबिज हैं। वे खुद को विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर के भतीजे बताते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमनसिंह की रिश्तेदारी की वजह से उन्होंने वहां भी अपना ठेकेदारी का नेटवर्क फैला रखा है।यही ट्रेवल्स चुनावी सभाओं के लिए हेलीकाप्टर और विमानों की सेवाओं की बिलिंग करता है। यही वजह है कि वे अक्सर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रैलियों में भी हेलीकाप्टर से साथ यात्रा करते देखे जाते थे।

जब हीरेन्द्र बहादुर सुशासन संस्थान में गदर मचा रहे थे तो संस्थान ने अपने बचाव में पुलिस को सूचना दे दी। संस्थान के ओएसडी(नायब तहसीलदार) निमेश पांडेय ने कमलानगर पुलिस को दिए अपने आवेदन में कहा कि जब 10 अगस्त को संस्थान में बैठक चल रही थी तब कुर्ता पजामा पहने हीरेन्द्र सिंह कक्ष में घुस आए और सीईओ लोकेश शर्मा के बारे में पूछने लगे,फिर यहां से वे सीईओ के कक्ष में गए और उन्हें धमकाने के बाद बाहर निकलते हुए भी गालियां दे रहे थे। कमलानगर पुलिस ने इस सूचना पर हीरेन्द्र सिंह को थाने बुलाया पर वे नहीं आए तो रविवार को उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया जहां से वे सोमवार को बाहर आ सके। मुख्यमंत्री डाक्टर मोहन यादव को करीब से समझने वालों का कहना है कि माफिया ने यदि सत्ता को धमकाने की आदत नहीं छोड़ी तो फिर एमपी में सुशासन लागू होकर ही रहेगा।

कड़िया गेंग के पच्चीस चोर गिरफ्तार, जयपुर से चुराए गहने बरामद

भोपाल/राजगढ़, 11 अगस्त (जासूस रिपोर्टर)जयपुर के होटल में हो रहे शादी समारोह से गहनों भरा बैग चुराने वाले पच्चीस चोरों को राजगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके कब्जे से एक करोड़ पैंतालीस लाख रुपए के गहने बरामद किये गए हैं।

मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा राज्य में अपराधियों पर नियंत्रण के लिए निरंतर सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी अनुक्रम में राजगढ़ पुलिस ने जयपुर के एक फाइव स्टार होटल में हो रहे शादी समारोह से जेवरात और नगदी से भरा बैग चोरी करने वाली गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। राजगढ़ पुलिस ने घटना के मात्र 48 घंटे के अंदर ही एक नाबालिग और उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 1 करोड़ 45 लाख रुपए का माल भी बरामद किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद राजस्थान पुलिस ने मध्यप्रदेश पुलिस का आभार माना है। कमिश्नर ऑफ जयपुर पुलिस ने मध्यप्रदेश के एडीजी (इन्टेलिजेंस) श्री जयदीप प्रसाद को बधाई दी है।

दरअसल, 8 अगस्त 2024 को सिकंदराबाद के बिजनेसमैन नरेश गुप्ता ने अपने बेटे की डेस्टिनेशन मेरिज के लिए जयपुर का एक फाइव स्टार होटल बुक किया था। आशीर्वाद समारोह के दौरान जेवरात और नगदी से भरा बैग एक नाबालिग अपने साथी के चोरी कर के भाग गया। बैग नहीं मिलने पर नरेश गुप्ता ने जयपुर पुलिस को मामले की रिपोर्ट की। रिपोर्ट के बाद जयपुर पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इसमें एक नाबालिग और एक संदिग्ध नजर आया। जयपुर पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पड़ोसी राज्यों की पुलिस को भी अलर्ट भेजा।

कावंड़ यात्रा में नजर आया संदिग्ध

जयपुर पुलिस को आरोपियों के मध्यप्रदेश में होने की सूचना मिली। जयपुर पुलिस के इनपुट पर मध्यप्रदेश पुलिस तत्काल एक्शन में आयी। मध्यप्रदेश पुलिस ने एडीजी (इन्टेलिजेंस) श्री जयदीप प्रसाद के निर्देश पर राजगढ़ के पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य मिश्रा ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सात टीमों का गठन किया। पुलिस को नाबालिग आरोपी के कावंड़ यात्रा में शामिल होने की सूचना मिली। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर नाबालिग को पकड़ा। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने दो अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी की।

कड़िया गैंग के सदस्य हैं आरोपी

जयपुर के पांच सितारा होटल में चोरी करने वाले बदमाश कड़िया गैंग के हैं। मध्यप्रदेश पुलिस ने 48 घंटे के अंदर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजगढ़ पुलिस की कड़िया गैंग पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। राजगढ़ पुलिस द्वारा 6 माह में कड़िया गैंग के 25 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। इन आरोपियों से 6 माह में 4 करोड़ 37 लाख रुपए का माल बरामद किया गया है।

राजनीतिक तिलिस्मों पर फतह का महायज्ञ
जासूस बादशाह
भोपाल,बुधवार 14 अगस्त 2024

हिंडनबर्ग का खेल: शॉर्ट-सेलिंग और राजनीतिक हस्तक्षेप

हिंडनबर्ग की मुहिम पर किसी भी व्यक्ति के दो अलग नज़रिए हो सकते हैं.

(1) हिंडनबर्ग एक इक्विटी रिसर्च की संस्था है जो नकारात्मक रिसर्च करने में माहिर है. ये ओवरवैल्यूड कंपनियों के ख़िलाफ़ गंदगी खोद कर लाती है, उन शेयरों को शॉर्ट करती है, अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करती है, और इस तरह (बहुत सारा) पैसा कमाती है. ये आम तौर पर बाज़ारों की भी मदद करती है क्योंकि कंपनियों के लिए सही तरीक़े से मूल्यांकन किया जाना अच्छा है और उनका ओवरवैल्यूड होना बुरा. 2023 की शुरुआत में अडानी समूह के शेयरों के ख़िलाफ़ इसकी रिपोर्ट की प्रकृति ऐसी ही थी.

(2) हिंडनबर्ग ने भारत के सबसे बड़े व्यापारिक समूहों और सरकार को बदनाम करने के लिए एक राजनीतिक अभियान के हिस्से के तहत, ख़ासतौर पर अडानी समूह को निशाना बनाया, और इस पूरी क़वायद में, इसने इन शेयरों को शॉर्ट करके बहुत सा पैसा कमाया.

(2a) हिंडनबर्ग सेबी चेयरपर्सन के ख़िलाफ़ आरोप लगाकर सेबी की जांच को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है. इस प्रक्रिया में, इसने भारतीय बाज़ारों को शॉर्ट करके फिर से पैसा बनाने की कोशिश की.

2023 में एक समय तक, कई लोगों को लगा कि ऊपर दिया गया प्वाइंट-1 ज़्यादातर सही था. उस समय भारत में एक महत्वपूर्ण कहानी चल रही थी कि हिंडनबर्ग की मुख्य भूमिका भारतीय लोकतंत्र को बचाने की कोशिश करने वाले एक योद्धा की थी या फिर कुछ इसी तरह की बकवास थी. सच्चाई ये है कि इस संगठन का पूरा बिज़नस मॉडल स्टॉक को क्रैश करके पैसा बनाना था, जिसे आसानी से भुला दिया गया.

हालांकि, जैसे-जैसे समय बीतता गया और ज़्यादा जानकारियां सामने आईं, जनता की राय पलट गई. अब, हमारे पास सेबी के कारण बताओ नोटिस का जवाब देने से इनकार करने की हिंडनबर्ग की बेशर्मी भरी कोशिश है. इसके अलावा, ये संगठन एक और रिपोर्ट लेकर आया है जिसमें सेबी अध्यक्ष, उनके पति और अडानी समूह के बीच 'संबंध' होने का दावा किया गया है.

जिन लोगों ने असल में ये रिपोर्ट पढ़ी है, उनका कहना है कि इसमें कुछ भी नहीं है, और अब तक, ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है. हालांकि, असली सवाल ये है कि हिंडनबर्ग ने ऐसे आरोप जो जांच के दायरे में नहीं आएंगे, उन्हें लगाकर क्या हासिल करने की उम्मीद की थी? इसका जवाब दोहरा है.

सबसे पहले तो ये 'हमला ही सबसे अच्छा बचाव है' वाला क़दम है. एक बार जब ये रेग्युलेटर के ख़िलाफ़ आरोप लगा देता है, तो ये रेग्युलेटर द्वारा की गई किसी भी जांच और कार्रवाई को पक्षपात भरा बताकर ख़ारिज कर सकता है. इसने कारण बताओ नोटिस को 'बकवास' बताकर ख़ारिज कर दिया और जवाब देने से इनकार कर दिया है. उसकी इस बहादुरी का एक पहलू उसके नस्लवादी और/या औपनिवेशिक रवैये में निहित है. चूंकि हिंडनबर्ग एक पश्चिमी संस्था है, इसलिए भारत जैसे ग़ैर-पश्चिमी देश में रेग्युलेटर ने इस पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे की? हमने पूरे कोविड-19 वैक्सीन प्रकरण के दौरान इस तरह की बहुत सी बकवास देखी हैं.

दूसरे, ये एजेंडा राजनीतिक और मीडिया प्रतिष्ठानों के एक हिस्से द्वारा आसानी से स्वीकार किया जाता है और आगे बढ़ाया जाता है. जिस गति से हिंडनबर्ग के आरोपों को सही माना गया और फिर दोहराया और बढ़ाया गया, उससे ये स्पष्ट हो गया कि ये एक संगठित और समन्वित प्रयास था. इसका मक़सद था, हिंडनबर्ग के ख़ुद के बचाव को मज़बूत करना और उम्मीद ये थी कि बाज़ार डूब जाएगा और इससे रेग्युलेटर की प्रतिष्ठा को गंभीर नुक़सान पहुंचेगा. बेशक़, मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए भी ये फ़ायदे की बात थी. जो हमें देखने को मिला, वो ये था कि संकेत मिलते ही राजनेताओं और मीडिया का एक वर्ग हिंडनबर्ग के समर्थन में एक साथ खड़ा दिखा.

कोई भी शख़्स जो इस नाटक को देख रहा है, उसे समझना चाहिए कि हम भारत में राजनीतिक विमर्श के काफ़ी हद तक ख़तरनाक हो चले चरण में प्रवेश कर चुके हैं. स्पष्ट दिखाई देता है कि हमारे पास एक शक्तिशाली घरेलू राजनीतिक विचारधारा है जो अब देश और इसकी अर्थव्यवस्था को संस्थागत तरीक़े से चोट पहुंचाने को राजनीतिक लड़ाई जीतने जैसा समझती है.

हिंडनबर्ग की गाथा ग्लोबल फ़ाइनांस, राजनीतिक हितों और राष्ट्रीय संस्थानों के अंतर्संबंधों की जटिलता को उजागर करती है. जहां शॉर्ट-सेलिंग और इन्वेस्टिगेटिव फ़ाइनेंशियल रिसर्च का बाज़ार की अखंडता बनाए रखने में अपना रोल होता है, वहीं ये मामला ग़लत इरादे और हेरफेर की संभावना को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है. आने वाले समय में हम इसी तरह के और भी एपिसोड देखेंगे और निवेशकों और आम जनता के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वे इन सभी को लेकर जागरूक रहें और हर क़दम पर सभी स्रोतों से मिली जानकारी का पूरी गंभीरता से आकलन करें.

गंजा कर देतीं हैं प्रेम की बैचेनियां

डॉ. मोहन यादव

85 फीसदी पुरुष अपने जीवनकाल में बाल झड़ने की समस्या का सामना करते हैं. लेकिन यह सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं है. 33 फीसदी महिलाओं को भी बालों के झड़ने या पतले होने की समस्या होती है. डेविड लैरी जैसे लोगों के प्रयासों के बावजूद कई लोग हेयर ग्रोथ को वापस पाने के तरीके ढूंढ़ते रहते हैं. पहले की तुलना में अब इसके लिए विकल्प भी काफी ज्यादा उपलब्ध हैं.

लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि गंजापन होता क्यों है?

क्या मां से विरासत में मिलता है गंजापन?

अधिकतर मामलों में व्यक्ति के गंजे होने का संबंध उसके जींस से होता है. इसको लेकर कई अलग-अलग अनुमान हैं, लेकिन गंजे होने का 60 से 70 फीसदी खतरा जेनेटिक्स से जुड़ा है. बाल झड़ने की सबसे आम वजह को आनुवंशिक-पैटर्न वाला गंजापन कहा जाता है. इसका तकनीकी नाम एंड्रोजेनेटिक अलोपीशिया है. यह 50 फीसदी पुरुषों और महिलाओं को प्रभावित करता है.

एक चुटकुला सुनाया जाता है कि पुरुषों को गंजापन अपनी मां से विरासत में मिलता है. लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है. यह बात सही है कि गंजेपन का एक जीन से बेहद मजबूत संबंध होता है. यह जीन एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है, जो व्यक्ति को उसकी मां से प्राप्त होता है. इसे एआर जीन कहते हैं. लेकिन गंजापन पॉलीजेनिक है, यानी इसमें कई जींस की भूमिका रहती है. कुछ अनुमानों के मुताबिक, इसमें लगभग 200 जींस शामिल होते हैं. इनमें से कुछ जींस ही मां की ओर से प्राप्त होते हैं. वहीं, बहुत सारे जीन पिता से मिलते हैं. इसलिए गंजेपन के लिए मां के जीन को जिम्मेदार ठहराना पूरी तरह से सही नहीं है. कई रिसर्च में सामने आया है कि बाल झड़ने की समस्या का सामना कर रहे 80 फीसदी लोगों के पिता भी गंजे हैं या गंजे थे.

बालों में सफेदी क्यों आती है?

निश्चित नहीं है गंजा होना

आपके जींस आपके बालों का भविष्य तय नहीं करते हैं. भले ही आपके घर के सभी पुरुष गंजे हों, तो भी यह पक्का नहीं होता कि भविष्य में आपके बाल भी उड़ ही जाएंगे. इसके अलावा बहुत सारे गंजे लोग ऐसे भी होते हैं, जिनके घर में सभी के अच्छे बाल होते हैं.

कुछ पर्यावरण संबंधी कारक भी बाल झड़ने की वजह बनते हैं. इनमें तनाव और पोषण का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है. तनाव से भरी नौकरी और घरेलू जिंदगी, कीमोथेरेपी और पोषण की कमी से स्थायी या अस्थायी तौर पर बाल झड़ सकते हैं. इसमें पोनीटेल जैसी कुछ हेयरस्टाइल की भी भूमिका हो सकती है, जिनमें बालों को कसकर बांधा जाता है. इसका एक और कारण अलोपीशिया एरीटा है, जो ऑटोइम्यून रिएक्शन की वजह से होता है.

गंजेपन में हॉर्मोनों की भी भूमिका होती है. यह कहा जाता है कि टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन की अधिकता से गंजापन होता है. लेकिन यह आंशिक रूप से ही सही है. गंजेपन का संबंध कुछ विशिष्ट हॉर्मोन और बालों पर उनके प्रभाव से होता है. खासकर सेक्स हॉर्मोन डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन (डीएचटी) से, जो टेस्टोस्टेरोन से प्राप्त होता है. डीएचटी हॉर्मोन के

प्रति हेयर फॉलिकल्स की संवेदनशीलता से बालों का झड़ना प्रभावित होता है. ऐसा नहीं है कि हॉर्मोनों की वजह से सिर्फ पुरुषों के बाल ही झड़ते हैं. 80 साल की उम्र तक आते-आते आधी से ज्यादा महिलाओं को बाल झड़ने की समस्या झेलनी पड़ती है. इसकी मुख्य वजह हॉर्मोन संबंधी बदलाव हैं जो मेनोपॉज, गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के समय होते हैं.

झड़ते बालों को दोबारा कैसे उगाएं

हेयर ग्रोथ प्रोडक्ट्स का व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है. 2020 में बाल झड़ने की समस्या का उपचार करने वाले उत्पादों का कुल मार्केट साइज करीब 300 करोड़ डॉलर था. माना जा रहा है कि यह 2030 तक दोगुना हो जाएगा. जिन लोगों के बाल झड़ रहे हैं, उनके बाल दोबारा से उगाने के लिए बाजार में कई उपचार मौजूद हैं, मानो गंजापन कोई बीमारी हो.

हाल के दशकों में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की लोकप्रियता भी बढ़ी है. हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान शरीर में पहले से मौजूद हेयर फॉलिकल्स को गंजेपन वाली जगह पर लगाया जाता है. हेयर ट्रांसप्लाट और दूसरी कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने की इच्छा रखने वाले लोगों के बीच तुर्की एक लोकप्रिय स्थान बन गया है.

हेयर ग्रोथ के लिए दवाइयां भी आती हैं, जिनके लिए डॉक्टर के पर्चे की जरूरत होती है. उनमें से एक है फिनास्टेराइड. यह दवाई डीएचटी हॉर्मोन को रोकने का काम करती है, जिससे वह हेयर फॉलिकल्स को प्रभावित ना करे. एक मिनोक्सिडिल है जो रक्त वाहिकाओं को खोलने वाली दवाई है. हालांकि, यह पूरी तरह समझा नहीं गया है कि यह हेयर ग्रोथ को कैसे बढ़ाती है.

हेयर ग्रोथ का एक मान्यता प्राप्त उपाय लेजर हेयर थेरेपी भी है. वैज्ञानिकों को यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि यह थेरेपी कैसे काम करती है, लेकिन जब हर दिन कम तीव्रता वाला लेजर ट्रीटमेंट छह से 12 महीनों तक दिया जाता है, तो उससे हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ बढ़ती है. यह स्टेम सेल एक्टिविटी के बढ़ने की वजह से होता है.

लेकिन वैज्ञानिक बाल झड़ने की समस्या के लिए और भी उपाय खोजने में लगे हुए हैं.

शुगर जेल से बढ़ती है हेयर ग्रोथ

चूहों पर किए गए एक अध्ययन में इंसानों और जानवरों में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली एक शुगर का परीक्षण किया गया था. इसका नाम टू-डिऑक्सी-डी-राइबोज (टूडीडीआर) था. स्टडी में इसकी घाव भरने में मदद करने की क्षमता का परीक्षण किया गया था. इसी दौरान रिसर्चरों ने पाया कि इस शुगर की वजह से घाव के आसपास हेयर ग्रोथ बढ़ गई.

इसके बाद रिसर्चर्स ने हेयर ग्रोथ के लिए इसका परीक्षण किया और पाया कि 21 दिनों तक इस शुगर को जेल की तरह लगाने से हेयर फॉलिकल्स तेजी से बढ़ते हैं. लेकिन इसमें एक पेंच यह है कि अभी तक इसका परीक्षण सिर्फ चूहों पर हुआ है. इसलिए निकट भविष्य में इसके बाजार में आने की उम्मीद नहीं की जा सकती.

तब तक डेविड की इस बात को ध्यान में रखिए कि गंजे लोग अच्छे प्रेमी होते हैं. उन्होंने सालों पहले लिखा था, "हमें टेस्टोस्टेरोन काफी मात्रा में मिला है. इसलिए हम सबसे पहले गंजे हो गए."

सड़क निगम के अफसरों को धमकाने वालों पर चलेगा मुकदमा

भोपाल 10 अगस्त(जासूस रिपोर्टर) आवेदक संजय बर्णवाल पिता श्री द्वारका प्रसाद बर्णवाल उम्र 50 साल नि. ई-4 फार्च्यून प्रेस्टीज बाबड़िया कला थाना शाहपुरा जिला भोपाल के द्वारा लिखित शिकायत आवेदन पत्र दिनांक- 24.07.24 को थाना प्रभारी एमपी नगर भोपाल के नाम पर प्रस्तुत किया था, जो थाना के कार्या. शि.- 188/24, दिनांक- 24.07.24 में आमद ली जाकर अग्रिम जांच हेतु प्राप्त हुई थी । दौराने शिकायत जांच आवेदक संजय बर्णवाल एवं साक्षी मंगल सिहं से पूछताछ कर कथन लेखबध्द किये गये, उक्त आवेदन पत्र के जाँच पर आवेदक एवं कथन अनुसार प्रथम दृष्टया पाया गया कि अंकित डागा, रोहित सिहं चंदेल, सुनील चंदेल के द्वारा आवेदक के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जो सुनने में बुरी लग रही थी एवं जान माल की छति कारित करने की धमकी देने का अपराध प्रथम दृष्टया अपराध श्री अंकित डागा ,श्री रोहित सिंह चंदेल एवं श्री सुनील चंदेल के विरुद्ध अपराध धारा 296,351(2),3(5) बीएनएस का पाया जाने से श्रीमान एसीपी महोदय से अनुमति प्राप्त कर श्री अंकित डागा ,श्री रोहित सिंह चंदेल एवं श्री सुनील चंदेल के विरुद्ध उक्त अपराध धारा का कायम किया जाता है नकल आवेदन पत्र निम्नानुसार है- मध्य-प्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. (म.प्र. राज्य राजमार्ग प्राधिकरण)(म.प्र. शासन का उपक्रम) 45-ए ,अरेरा हिल्स, भोपाल -462011 (आफिस) 0755-2597290/2765205, फैक्स-0755-2572643, बेबसाइट- mprdc.gov.in क्र. 4845/स्था/530/ एमपीआरडी-सी/24 भोपाल , दिनांक 24.07.2024 प्रति, थाना प्रभारी, एम.पी.नगर ,अरेरा हिल्स भोपाल , विषय- म.प्र. सड़क विकास निगम के कार्यालय परिसर में श्री अंकित डागा, श्री रोहित सिंह चंदेल एवं श्री सुनील चंदेल द्वारा शासकीय कार्य में बाधा एवं शारीरिक एवं मानसिक क्षति की धमकी बावत्। महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आज दिनक 24.07.2024 को सांय 4.51 को कथित रूप से श्री अंकित डागा ,श्री रोहित सिंह चंदेल एवं श्री सुनील चंदेल द्वारा म.प्र. सड़क विकास निगम , 45-ए, अरेरा हिल्स , भोपाल कार्यालय मे भूतल के रास्ते बगैर अनुमति/उपस्थिती पंजी मे बिना प्रविष्टी करते हुए श्री बृजेश धाकड़ ,सुरक्षा गार्ड के रोकने पर अभद्र भाषा एवं गाली गलौच करते हुए जबरन प्रथम तल पर स्थित लोक सूचना अधिकारी का पता पूछते हुए मेरे कक्ष मे प्रवेश किया । मेरे कक्ष मे सीधे प्रवेश करते ही मुझे गालीगलौच के साथ साथ जानमाल की क्षति एवं मारपीट की धमकी देते हुए लगभग 4-5 मिनट मेरे कक्ष मे यह कहते हुए उपद्रव किया कि तुम्हारे द्वार RTI मे जानकारी समयावधी मे नही दी जा रही है, तुम ऑफिस के बाहर निकलो हम तुम्हे देख लेंगे। उक्त घटना-क्रम के समय निगम के कर्मचारी श्री मंगल सिंह,श्री ब्रजेश धाकड़(सुरक्षा गार्ड), श्री मुकेश सकरवार(भृत्य) एवं मेरे पारिवा-रिक सदस्य श्री रोहित रंजन बरनवाल जो कि उस समय मुझसे मिलने आए थे कक्ष मे मौजूद थे के द्वारा रोकने पर मेरे साथ-साथ कक्ष मे मौजूद अन्य समस्त व्यक्तियो के साथ गाली गलौज एवं झूमाझटकी की गई। उल्लेखनीय है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता श्री अंकित डागा , श्री रोहित सिंह चंदेल एवं श्री सुनील चंदेल के पूर्व से न तो जानते है और न ही कोई पुरानी रंजिश है। उक्त तीनो व्यक्तियो की पहचान कक्ष मे लगे हुये CCTV कैमरे की वीडीयो को देखकर निगम के अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा इनके नाम श्री अंकित डागा , श्री रोहित सिंह चंदेल एवं श्री सुनील चंदेल के रूप मे पहचान की गई। मै म.प्र. सड़क विकास निगम के अधिकारी के रूप मे पुनः अवगत कराना चाहता हूं कि अधोहस्ता-क्षरकर्ता का इन तीनो से न तो पूर्व से कोई जान पहचान और नही कोई रंजिश रही है इसके बावजूद निगम मे आकर शासकीय कार्यों मे व्यवधान डालकर जानमाल के साथ-साथ शारीरिक नुकसान की धमकी से मरे साथ -साथ कक्ष मे मौजूद निगम के अन्य सहकर्मी भी काफी भयभीत हैं। उप-रोक्त तीनो व्यक्तियो के निगम कार्यालय मे प्रवेश से लेकर मेरे कक्ष की CCTV कैमरे की रिकार्डिंग निगम मे दर्ज है। अतः महोदय भविष्य मे होने वाले संभावित खतरे एवं जानमाल की हानि पहुंचाने क आशंका को दृष्टिगत रखते हुए म.प्र. सड़क विकास निगम मे कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा देते हुए घटना के जि-म्मेदार उपरोक्त तीनो व्यक्तियों के विरूध्द कठोर से कठोर कार्रवाई करने का कष्ट करें।

आवारा कुत्तों से बचने के लिए दरवाजे पर लटकाई लाल बोतलें

सागर 14 अगस्त(जासूस रिपोर्टर)।- मध्य प्रदेश के सागर के कई इलाकों में लोग अपने घरों के दरवाजों या खिड़कियों पर लाल बोतलें लटकाने लगे हैं. पहली नजर में अजनबियों को यह देखकर हैरानी हो सकती है कि कहीं रहने वाले लोग किसी तरह की जादू-टोना में तो नहीं लगे हैं1 लेकिन जब उन्हें इन बोतलों के पीछे का असली कारण पता चलता है तो वे हैरान रह जाते हैं. असल में, इन बोतलों को लटकाने वाले लोग खुद डरे हुए हैं और उन्होंने एह-तियात के तौर पर इस तरीके का सहारा लिया है.

लाल बोतलों का इस्तेमाल सागर की अलग-अलग सड़कों और मोहल्लों में आवारा कुत्तों को दूर भगाने के लिए किया जा रहा है. लोगों का मानना है कि लाल रंग कुत्तों की आंखों को परेशान करता है, जिससे वे उन जगहों से बचते हैं जहां उन्हें यह रंग दिखाई देता है. स्थानीय लोगों के मुताबिक इस तरीके से आवारा कुत्तों की समस्या से कुछ राहत मिली है.

जैसे-जैसे यह बात फैलती गई, अधिक से अधिक लोग अपने घरों के बाहर लाल बोतलें लटकाने लगे. विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरह कुछ इंसानों को रंगों में अंतर समझने में परेशानी होती है, उसी तरह कुत्तों को भी नीले, हरे और लाल रंग में अंतर समझने में दिक्कत होती है. यही कारण है कि जंगली कुत्ते या तो सुबह जल्दी या फिर सूरज ढलने के बाद ही बाहर निकलते हैं.

आवारा कुत्तों की यह समस्या सिर्फ सागर तक ही सीमित नहीं है, यह पूरे जिले में फैली हुई है. रोजाना 30 से ज्यादा मरीज जिले के अस्पताल और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में रेबीज का टीका लगवाने आते हैं. पिछले साल नगर निगम ने आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए 5 लाख रुपये का विशेष बजट भी रखा था, लेकिन इसका ज्यादा असर नहीं हुआ.

सागर के एक शहर बीना में एक 8 साल के बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. एक पागल कुत्ते ने ढाई घंटे के भीतर एक गांव में 17 लोगों पर हमला किया था. इन बढ़ती घटनाओं ने शहर के लोगों को डरा दिया है, जिससे वे बच्चों को घर के अंदर रखने लगे हैं. आवारा कुत्तों से बचने के लिए लोग कई तरह के तरीके अपनाने लगे हैं, जिसमें अपने घरों के बाहर लाल बोतलें लटकाना भी शामिल है.

पशु प्रेमी संगठनों के दबाव ने कुत्तों को मारने की मुहिम बरसों से बंद कर रखी है। कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी जरूर की जाती है लेकिन कई बार नसबंदी असफल हो जाती है जिससे कुत्ते बढ़ते हैं।

नशा बेचने वालों पर मोहन सरकार का करारा प्रहार

एक करोड़ 22 लाख रुपए की प्रतिबंधित कोरेक्स सीरप पुलिस ने की जब्त

भोपाल/रीवा, 8 अगस्त 2024। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुरुप मध्यप्रदेश में नशे का अवैध कारोबार करने वालों पर सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध पूरे प्रदेश में सतत् कार्रवाई जारी है। इसी अनुक्रम में रीवा पुलिस ने प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले पिता-पुत्र को सागर जिले से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपियों से पुलिस ने एक करोड़ 22 लाख 40 हजार रुपए की 800 पेटी प्रतिबंधित कोडिन युक्त कफ सिरप बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट व मप्र ड्रग्स कंट्रोल एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर पूछताछ आरंभ कर दी है।

रीवा पुलिस ने सागर के गोदाम पर छापा मारकर नशे के कारोबार के पूरे नेटवर्क का खुलासा किया

दरअसल, रीवा जोन में नशीली दवाओं का अवैध कारोबार किए जाने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलने पर रीवा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री महेन्द्र सिंह सिकरवार व पुलिस उप महानिरीक्षक श्री साकेत प्रकाश पाण्डेय के नेतृत्व एवं पुलिस अधीक्षक रीवा श्री विवेक सिंह के मार्ग-दर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनकर, अनुविभागीय अधिकारी त्योथर श्री उदित मिश्रा, नगर पुलिस अधी-क्षक मैहर श्री राजीव पाठक नगर पुलिस अधीक्षक रीवा श्रीमती रितु उपाध्याय के निर्देशन में पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने धाना चोरहटा के अपराध में कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली आनरेक्स कफ सिरप की बरामदगी जिला सागर में करने में मह-त्वपूर्ण सफलता प्राप्त की।

पिता-पुत्र कर रहे थे नशीली दवाओं का कारोबार

दरअसल सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले अरविंद पिता स्व. हजारी-लाल जैन व उसका बेटा सिटीजन उर्फ सत्तू जैन द्वारा नशीली दवाओं का अवैध कारोबार करने की सूचना पुलिस को मिली। वह प्रतिबंधित दवाओं की सप्लाई रीवा तक करते थे। पुलिस ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की गई, जिसमें पाया गया कि रीवा में सप्लाई की जाने वाली नशीली कफ सिरप का लिंक टाटा फार्मा मेडिकल एजेन्सी (फर्म) अरविन्द जैन जिला सागर का होना पाया गया। आरोपियों को गिर-फ्तार कर दोनों आरोपीगणों से बारीकी से पूछताछ की गई। प्राथमिकी साक्ष्यों का विशेष अध्ययन कर दोनों आरोपीगणों का पुलिस रिमांड माननीय न्यायालय से लिया गया एवं आरोपीगणों को जिला सागर में ले जाकर विवेचना में घर से सभी दस्तावेज एवं महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए गए।

रीवा के सरगना के माध्यम से करते थे तस्करी

पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया की वह प्रतिबंधित नशीली दवाओं का अवैध कारोबार रीवा के सरगना के माध्यम से करते थे। आरोपियों की निशानदेही पर पर आरोपीगणों के सागर स्थित गोदाम में पुलिस ने दबिश दी। यहां पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने प्रतिबंधित दवाओं के 72000 नग जब्त किए। जिनकी कीमत एक करोड़ 22 लाख 40 हजार रुपए है। अभी तक की विवेचना में पुलिस द्वारा अन्य सभी जरूरी विभागों से संपर्क स्थापित किया जा रहा और उच्च स्तरीय विवेचना की जा रही है।

इनकी रही सराहनीय भूमिका

प्रतिबंधित दवाओं का अवैध कारोबार करने वालों पर कार्रवाई करने में निरी. श्री श्रृंगेश सिंह राजपूत थाना प्रभारी चोरहटा, उप निरीक्षक श्री शैल यादव, उप निरीक्षक इंद्राबली सिंह, सउनि श्री राजेश तिवारी, सउनि श्री नीरज सिंह बघेल, प्रधान आर-क्षक श्री केपी सिंह, प्रधान आरक्षक श्री अश्वनी शुक्ला, आरक्षक श्री धनजय यादव, आरक्षक श्री नितिश सिंह बघेल, आरक्षक श्री शैलेन्द्र दीपांकर, आरक्षक श्री अरविंद यादव, आरक्षक श्री मोहित यादव, आरक्षक श्री रमाशंकर त्रिपाठी एवं सायबर सेल रीवा की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कार्पोरेट प्रबंधन से ही बढ़ पाएगा कृषि उत्पादन

डॉ रबीन्द्र पस्तोर, सीईओ, ई-फसल

विगत दशक से हमारी सरकार किसानों की आय को दुगना करने की एक कारगर रणनीति विकसित करने के लिए तरह-तरह के प्रयोग करती रही है। जहां सरकार को एक ओर किसानों की आय बढ़ाना है तो दूसरी ओर थोक महंगाई दर को नियंत्रित करना है। यह काम एक दूसरे के विपरीत है और दोनों में संतुलन बनाना हमेशा से नीति निर्माताओं को तरह-तरह के प्रयोग करने को प्रोत्साहित करता रहा है। यदि हम 2024-2025 के बजट प्रावधानों को देखते है तो पाते है कि सरकार ने खेती तथा उसके अनुसांगिक कार्यों के लिए रू 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है जो कुल बजट का 3.1% है जबकि हमारे देश की दो तिहाई जनसंख्या इस सेक्टर पर निर्भर है। इस बजट में किसानों की आय बढ़ाने तथा खेती की लागत को कम करने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। बहीं दूसरी ओर रसायनिक कृषि आदनों पर अनुदान देने के लिए भारी बजट राशि का प्रावधान किया गया है। जहां एक ओर प्राकृतिक खेती के उत्पादों को विदेशों में निर्यात को प्रोत्साहित करने के प्रावधान हैं वहीं दूसरी ओर अनेक फसलों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए गए है। सरकार की यह दुविधा कृषि क्षेत्र के लगभग हर निर्णय में परिलक्षित होती है।

इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में प्राकृतिक खेती को कृषि विकास का बाहक प्रतिपादित किया गया है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि विकास मिशन स्थापित किया गया है तथा इसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रू 459 करोड़ का प्रावधान किया गया था लेकिन खर्च न होने के कारण इस वर्ष के बजट में यह राशि घटा कर रू 465.6 करोड़ कर दी गई है। जबकि इस वित्तीय वर्ष में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है तथा 10,000 वायो कृषि आदान रिसोर्से सेन्टर बनाने का लक्ष्य है।

अब सोचने की बात यह है कि क्या भारतीय किसान प्राकृतिक ढंग से खेती करना नहीं जानता है? प्राकृतिक खेती को आज जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, ज़ीरो बजट खेती, वैदिक खेती और ऐसे ही अनेकों नामों से जानते है लेकिन इन सब का एक ही मतलब है कि प्राकृतिक ढंग से खेती करना। प्राकृतिक खेती से किसान पीढ़ी दर पीढ़ी परिचित रहा है लेकिन आज किसानों द्वारा खेती जीविकोपार्जन के लिए न हो कर बाज़ार के लिए की जाती है। जाहिर है कि प्राकृतिक खेती में बाजार सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। प्राकृतिक खेती के उत्पाद सामान्य खेती के उत्पादों की तुलना में 25 से 70 प्रतिशत तक महँगे होते हैं उदाहरण के लिए सामान्य आटे के 5 किलो की क़ीमत रू 105 होती है जबकि जैविक आटे की क़ीमत रू 235 होती है। इसी तरह चावल, दालें, मसाले, फल सब्ज़ियाँ व प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद की क़ीमतों में भारी अंतर है। आज हमारे देश की आबादी विश्व में सर्वाधिक है तो हम सोचते है कि हमारे देश में किसी भी तरह के उत्पाद के लिए पर्याप्त बाज़ार उपलब्ध है लेकिन ऐसा नहीं होता है बाज़ार में उत्पाद ख़रीदने के लिए यदि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं होंगे तो वे महँगा सामान नहीं ख़रीद सकते है। यह बात समझने के लिए हमें लोगों के आय के स्तर को समझना होगा हाल ही में प्राइज़ नामक संस्था ने वर्ष 2014, 2016 तथा 2021 के सर्वेक्षण के आधार पर विभिन्न आय के अनुसार देश की जनसंख्या को मोटे तौर पर 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। जिसमें प्रथम श्रेणी है जिसमें प्रति वर्ष रू 1.25 लाख से कम आय वर्ग में 15 प्रतिशत जनसंख्या है जो देश की कुल आय की 2 प्रतिशत कमाई करते हैं जिन्हें डेस्टिट्यूट या निराश्रित या गरीब श्रेणी कहा गया है । दूसरी श्रेणी है रू 1.25 लाख से रू 5 लाख सालाना आय वाले परिवार जिसमें देश की 52 प्रतिशत जनसंख्या आतीं है जो देश की कुल आय का 2.5 प्रतिशत कमाई करते है, जिन्हें एस्पाययर या महत्वाकांक्षी श्रेणी कहा गया है। तीसरी श्रेणी में रू 5 लाख से रू 30 लाख सालाना आय वर्ग के लोग है जिसमें हमारे देश की जनसंख्या के 31 प्रतिशत लोग आते है जो देश की कुल आय का 50 प्रतिशत कमाई करते हैं जिन्हें मिडिल क्लास या मध्यम वर्ग कहा गया है। चौथी श्रेणी में रू 30 लाख से रू 50 लाख, रू 50 से एक करोड़ रुपये तथा एक करोड़ से दो करोड़ या उससे अधिक रुपये सालाना आय वर्ग के लोग है जो देश की कुल जनसंख्या के 4 प्रतिशत लोग है जो देश की कुल आय का 23 प्रतिशत कमाई करते हैं जिन्हें रिच या धनी वर्ग कहा गया है। हमारे देश में धनी लोगों की संख्या जिस तेज़ी से बढ़ रही है उतनी तेज़ी से गरीब लोगों की संख्या कम नहीं है रही है। 98 प्रतिशत गरीब आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है तथा शहरी क्षेत्र में 55 प्रतिशत रिच या धनी व सुपर रिच या अति धनी, 27 प्रतिशत मध्यम वर्ग तथा 2 प्रतिशत गरीब रहते है। यदि राज्यों को प्रति व्यक्ति सालाना आय के हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र सबसे धनी राज्य है इसके बाद दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु व पंजाब राज्य आते है। बाज़ार के इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि रू 15 लाख सालाना आय वर्ग के लोग कि महँगे कृषि उत्पादों को ख़रीदने की क्षमता रखते है।

प्राकृतिक खेती के उत्पाद महँगे होने के मुख्य कारण यह है कि इन के प्रमाणीकरण का खर्च, ज़्यादा मज़दूरों की आवश्यकता, जानवरों को पालने का खर्च, मिट्टी की गुण-वत्ता सुधार का खर्च, कम उत्पादन, बाज़ार की दूरी, सरकार अनुदान का अभाव व कृषि आदानों पर अनुदान न मिलना है। यदि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है तो बाज़ार के इस विश्लेषण को समक्ष कर नीतियों का निर्माण किया जाता है और तदनुसार बजट का प्रावधान किया जाता है तो निश्चित ही राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाज़ार की माँग की पूर्ति की जा सकती है क्योंकि सम्पूर्ण विश्व की केवल 0.9 प्रतिशत कृषि भूमि पर प्राकृतिक खेती की जा रही है। हमारे देश में एक अनुमान के अनुसार सन् 2047 मध्यम वर्ग की कुल आबादी 63 प्रतिशत हो जाएगी तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के कारण प्राकृतिक खेती के उत्पादों की माँग निरंतर रहेंगी।

भारत सरकार द्वारा यदि कृषि विकास की विभिन्न योजनाओं जैसे एफ़पीओ, एक उत्पाद एक ज़िला योजना, रसायनिक खादों पर सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि अधोसंरचना विकास योजना, खाद्य प्रसंस्करण पर सब्सिडी, निर्यात नीति आदि अनेक योजनाओं की एक ही दिशा निर्धारित की जाती है तो लक्ष्य प्राप्त करना आसान हो जाएगा।

राज्यों को पूरा हक पर मनमानी करने की छूट नहीं

भारत के राजनीतिक स्वरूप की विशिष्टता इसकी एकात्मक संघीय प्रकृति है, जिसे आचार्य दुर्गा दास बसु ने 'चरित्र में परिसंघीय और आत्मा में एकात्मक' के रूप में वर्णित किया है। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ, 1977 मामले में ग्रैनविले ऑस्टिन का हवाला दिया है, जिन्होंने लिखा है कि भारतीय संविधान शायद पहला ऐसा संविधान है, जिसने शुरू से ही एएच बर्च द्वारा संकल्पित 'सहकारी संघवाद' की संकल्पना को अपनाया है। यानी संघ और राज्य तथा राज्य और राज्य परस्पर सहयोग और समन्वय से कार्य करेंगे, ताकि संविधान द्वारा निर्धारित कल्याण के साझा लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। न्यायालय ने माना है कि संविधान ने एक ऐसी केंद्र सरकार की संकल्पना की है, जो इस अर्थ में 'उभयचर' है कि वह परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार संघीय या एकात्मक तल पर कार्य कर सकती है।

एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ, 1994 मामले में शीर्ष न्यायालय ने भारत के संघवाद को 'व्यावहारिक संघवाद' कहा है, जिसमें संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण तो हुआ है, पर इसका झुकाव संघ की ओर है। हरियाणा बनाम पंजाब राज्य, 2004 मामले में 'अर्ध-संघीय' शब्द का प्रयोग किया गया था, जबकि शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1974 मामले में न्यायालय ने इसे 'परिसंघीय से अधिक एकात्मक' कहा था। शीर्ष न्यायालय के इन विचारों से स्पष्ट होता है कि भारत की राजनीतिक संरचना को विषम परिसंघ कहा जाना सही है, जहां विधायी शक्तियों का वितरण दो अलग-अलग स्तरों पर काम करने वाली स्वायत्त सरकारों की जरूरतों के अनुसार किया गया है, हालांकि दोनों में से किसी को भी कमजोर या मजबूत नहीं बनाया गया है। इसे ही हम शक्तियों का न्यायसंगत वितरण कहते हैं।

हाल ही में, भारत के प्रधान न्यायाधीश ने मिनरल एरिया डेवलपमेंट बनाम मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 2024 मामले में कहा कि, 'भारतीय परिसंघ को विषम परिसंघ के रूप में परिभाषित किया जाता है, क्योंकि इसका झुकाव केंद्र की ओर है, जिसका उद्देश्य एक मजबूत केंद्र सरकार का गठन है। पर राज्यों को उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर कानून बनाने की संप्रभु शक्तियां दी गई हैं। परिसंघीय ढांचे में प्रत्येक इकाई को एक निश्चित सीमा तक स्वतंत्रता के साथ अपने मूल सांविधानिक कार्यों को करने में सक्षम होना चाहिए। संविधान की व्याख्या इस तरह होनी चाहिए कि परिसंघीय चरित्र कमजोर न हो। न्यायालय को सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य विधानसभाएं अपने आरक्षित क्षेत्रों में संघ के अधीन न हों।'

संविधान के अनुच्छेद एक के तहत, भारत को राज्यों के एक संघ के रूप में स्थापित किया गया है, जहां राज्यों के निर्माण का अधिकार संघ का है और राज्य भारत के आवश्यक भाग हैं। अनुच्छेद 245 कानून

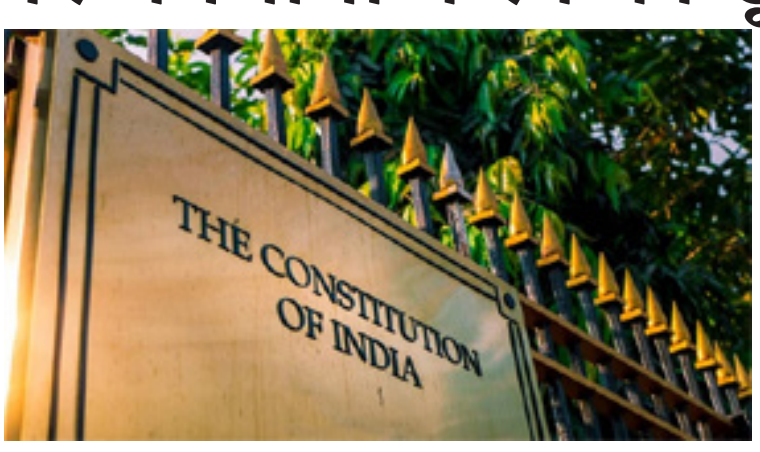

बनाने के लिए भारत के राज्यक्षेत्र का वर्गीकरण करता है और संघ व राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों की प्रयोज्यता की सीमा का प्रावधान करता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 246 संघ और राज्यों के बीच कानून बनाने के लिए विषयों का बंटवारा करता है, फिर भी संसद को 'अवशिष्ट शक्तियों' के तहत उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है और जो नए उभरने वाले विषय हैं। यही परिसंघीय ढांचे को विषम परिसंघ बनाता है।

इसी प्रकार, वित्तीय शक्तियां भी संघ में निहित हैं, जिसके लिए अनुच्छेद 109 का खंड (1) उल्लेखनीय है, जो यह प्रावधान करता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। विषम परिसंघ के ये प्रावधान भारत को एक कार्यात्मक परिसंघ भी बनाते हैं, जिसमें वित्तीय और नए उभरने वाले विषयों की शक्तियां राज्यों में निहित नहीं होती हैं।

सातवीं अनुसूची में तीन सूचियों में विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है, हालांकि, संघ सूची के कुछ विषयों को राज्य के विषयों पर वरीयता दी गई है, फिर भी यह परिसंघ को कमजोर नहीं बनाता है। जैसे, राज्य सूची की प्रविष्टि 17 में 'पानी' यानी जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, जल निकासी और तटबंध, जल भंडारण और जल शक्ति सूची I की प्रविष्टि 56 के प्रावधानों के अधीन हैं।

2024 के मिनरल एरिया डेवलपमेंट मामले में दिए गए फैसले में उच्चतम न्यायालय ने विशेष रूप से कर लगाने संबंधी राज्यों की विधायी क्षमता की जांच की। मुख्य प्रश्न यह जांचना था कि क्या खनन पट्टों पर रॉयल्टी को कर माना जाना चाहिए और क्या संसदीय कानून, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के बाद राज्यों को खनिज अधिकारों पर रॉयल्टी/कर लगाने का अधिकार है। न्यायालय ने माना कि खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी शक्ति राज्य विधानसभाओं में निहित है। संसद के पास सूची-1 की प्रविष्टि 54 के तहत खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी क्षमता नहीं है, यह एक सामान्य प्रविष्टि है। चूंकि खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति सूची-2 की प्रविष्टि 50 में उल्लिखित है, इसलिए संसद उस विषय वस्तु के संबंध में अपनी अवशिष्ट शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती है। राज्यों की विधायी क्षमता पर केवल इसलिए सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि भारतीय परिसंघ विषम है। संविधान निर्माताओं ने संघ और राज्यों के बीच किसी भी संभावित टकराव को रोकने के लिए सातवीं अनुसूची में विषयों को बहुत स्पष्टता से सूचीबद्ध किया है। इसके अलावा, समन्वय का सिद्धांत समवर्ती सूची में अच्छी तरह से स्थापित है, जिसमें संघ और राज्य, दोनों कानून बना सकते हैं। भारत के संविधान ने संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया है, जो दोनों में से किसी को भी संप्रभु होने से रोकता है। इस अर्थ में, संघ और राज्यों, दोनों की विधायी क्षमता इतनी संतुलित है कि परिसंघीय विषमता कानून बनाने के कार्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करती है, ताकि संसाधनों को न्यायसंगत ढंग से वितरित करके व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने का साझा लक्ष्य प्राप्त किया जा सके, और राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो सके:-***सीबीबी श्रीवास्तव***

Get better returns on your investment with Fixed Deposit
Interest Rates from 11th April 2023
up to
9%* p.a.
Interest on FD
for 888 days for Senior Citizens
8.5%* p.a.
Interest on FD for individuals, NRE,NRO for 888 days
BEYOND BANKING
When you bank with us, you contribute towards a better society.
Equitas Bank
The Power of Seven
Missed Call : 888 003 6666
Visit www.equitasbank.com
equitas
Equitas Small Finance Bank

HARSH XPRESS®
AIR ROAD RAILWAY
Proud to be part of a nation that moves with purpose
15TH AUGUST
HAPPY INDEPENDENCE DAY
Get in Touch with the Experts
Send 'Hi' on Whatsapp and we will assist you +91 9200001208
www.harshexpress.com

SBI
हर भारतीय का बैंक
चुनौतियाँ अनेक
लक्ष्य एक : श्रेष्ठ भारत
सभी भारतीयों को
78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं
हर घर तिरंगा
सहायता के लिए, कॉल करें - 1800 1234 | 2100
हमें यहाँ फॉलो करें

स्वत्वाधिकारी ,मुद्रक,प्रकाशक आलोक सिंघई ने सम्यक प्रिंटर्स से छापा और ऊपरी भूतल-7 अलकनंदा काम्पलेक्स जोन-1,एमपी नगर भोपाल से प्रकाशित किया।
संपादक - आलोकसिंघई फो.2555007,मोबा.-9425376322 न्याय क्षेत्र भोपाल. *aloksinghai67@gmail.com* सलाहकार संपादक:विपिन शर्मा,